

प्रेषक,

जी0 के0 टण्डन,
राहत आयुक्त एवं सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बाराबंकी।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक 25 अगस्त, 2008

विषय: वित्तीय वर्ष 2008-09 में खोज एवं बचाव उपकरण हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2015/आपदा लिपिक, दिनांक 20.8.2008 के क्रम में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2008-09 में खोज एवं बचाव उपकरण के अन्तर्गत 26 अर्द्ध लाइफ जैकेट के क्रय हेतु कोषागार नियम-27 से आहरित धनराशि रु0 24,700/- के समायोजन हेतु श्री राज्यपाल महोदय धनराशि रु0 24,700/- (रुपया चौबीस हजार सात सौ मात्र) की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं।

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-आपदा राहत निधि-800-अन्य व्यय-03-राष्ट्रीय आपदा निधि से व्यय -42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. आपदा राहत निधि की धनराशि दैवी आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या- जी0आई0-134/1-11-2007-46/97 दिनांक 31 जुलाई, 2007 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुसार तत्काल व्यय की जायेगी। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय।

4. उक्त स्वीकृत धनराशि केवल इस वित्तीय वर्ष में दैवी आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को राहत पहुँचाने के निमित्त व्यय की जायेगी। इससे पूर्व वर्षों के दायित्वों का निर्वहन नहीं किया जायेगा।

5. आपदा राहत निधि से प्रदत्त धनराशि का आवश्यकता के अनुरूप व्यय किया जाय। व्यय हुई धनराशि का पूर्ण व्यय विवरण/भौतिक कार्य विवरण शासन को प्रत्येक माह की 05 तारीख तक निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

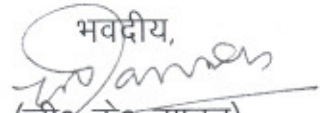
6. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या 1693/1-11-2005-रा0-11 दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के

साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचते सम्भावित हों तो उन्हें दिनांक 25 मार्च, 2009 तक शासन को अवश्य सूचित करते हुये वित्तीय वर्ष के अन्त में समर्पित कर दिया जाय।

7. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड -5 भाग -1 के प्रस्तर -369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या -42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

8. दैवी आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय।

9. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(जी० कै० टण्डन)
राहत आयुक्त एवं सचिव

संख्या : 3975 (1)/1-10-2008-14(23)/2004, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा)/महालेखाकार (आडिट प्रथम), उ०प्र० इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त फैजाबाद।
3. आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उ०प्र० लखनऊ।
4. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. कोषाधिकारी बाराबंकी।
6. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5।
7. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/लेखाकार राजस्व अनुभाग-10/ राजस्व अनुभाग-6/11/राहत वेबसाइट के उपयोग हेतु।
8. चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 की धनावंटन पत्रावली में रखने हेतु।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(लक्ष्मी नारायण)
अनु सचिव